न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 21/2004
आरसीएमएस नं. :– 2004/00023

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
——अपीलार्थी

बनाम

1. हाजरा बेवा आलमअली जाति कायमखानी नि0 वार्ड नं. 9 भादरा, तहसील भादरा
2. इकबाल खां
3. इस्फाक खां } पि0 आलमअली जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 9 भादरा
4. नियाम खां
5. युनस खां पुत्र आलमअली खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 9 भादरा।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 15.01.2003, प्र. सं. 130/02
अनवान हजरा आदि बनाम सरकार आदि

उपस्थितिः–
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विजय कौशिक अभिभाषक रेस्पोडेण्ट 1 ता 4
श्री लोकेश शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 5

निर्णय दिनांक 23.02.2023

1. यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 19 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी काफी प्रयासों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं आया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया इस्तकरार हक, रिकार्ड दुरूस्ती का राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया। जिमसें कथन किया कि रोही मौजा चक नं. ग्राम गंगासिंहपुरा की 74.04 बीघा खाम भूमि अब्दु खां ने वंजर भूमि को ना तोड़ कर काबिल काश्त बनाया है जो सं0 2006 से उनके कब्जा काश्त में चली आ रही हैं चक बंदी के बाद उपर वर्णित कृषि भूमि नये नंबरों में परिवर्तित हो गई। कुल भूमि रेस्पोडेण्ट संयुक्त रूप से समभाग में है। परंतु भू प्रबंध विभाग ने गलत तरीके से उक्त भूमि को रेस्पोडेण्ट के नाम से गैर खातेदारी दर्ज कर दिया। वादीगण ने वाद में प्रश्नगत भूमि का खातेदार घोषित करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी दर्ज थी जो कभी भी रेस्पोडेण्ट के कब्जा काश्त में नहीं रही है। जिसे रेस्पोडेण्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही है। रेस्पोडेण्ट ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह कतई साबित नही किया है कि सम्वत 2012 से पहले उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त हो, इसके अभाव में रेस्पोडेण्ट को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधीवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट की गैर खातेदारी भूमि थी जो संवत 2006 से उनके कब्जा काश्त में है। प्रश्नगत बंजर भूमि को नोतोड़कर काश्त करने के लायक बनाया है। प्रश्नगत भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की दर्ज है इसके बाद भू प्रबन्ध विभाग ने जमाबन्दीयात में इस भूमि मुरबा व किला में जो दर्ज है वह आलमअली वल्द अब्दुखां के दर्ज है तथा यदि उक्त भूमि पुरानी का व नई जो वाद भूमि 40 बीघा 14 बिस्वा पुख्ता है उसका यदि कच्ची पक्की से जो क्षेत्रफल मिलान किया जाता है तो वर्तमान वाद भूमि भी उसके बराबर बैठती है। प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडण्ट का आज भी कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट ने विलम्ब से मियाद बाहर यह अपील पेश की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण नहीं बताया हैं अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे तथा अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की ळै जो खजिर की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 1999 (6) पेज 392, आरबीजे (7) पेज 157 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख काफी प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलाण्ट ने अपील में ग्राम सिंहपुरा पटवार हल्का डोबी की जमाबंदी संवत 2055 प्रस्तुत हुई है जिसमें प्रश्नगत भूमि मु0 सायला बेवा गुलाम खां आदि की गैर खातेदारी भुमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हे। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी भूमि है परन्तु प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायलाय ने प्रश्गनत भूमि के गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार रेस्पोडेण्ट को प्रदान किये हैं लेकिन अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.01.2003 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलख आया नहीं है इसलिए निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायलाय को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 23.02.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/2/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner